भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1093
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

महिला श्रम बल

1093. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षो में भारत के महिला श्रमबल में गिरावट आई है तथा इसका नवीनतम प्रतिशत 19.2% है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महिला श्रमबल भागीदारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा श्रमबल भागीदारी तथा महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	एलएफपीआर (% में)
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5
2021-22	32.8
2022-23	37.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आँकड़े दर्शाते हैं कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

देश में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार महिला कामगारों के लिए श्रम बल की भागीदारी अनुबंध पर स्थित है।

सरकार ने महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान जैसे सवेतन मातृत्व अवकाश, लचीले काम के घंटे, समान वेतन आदि शामिल किए हैं।

महिला कर्मचारियों की रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क (तंत्र) के माध्यम से, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के आधार पर देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (% में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	42.5	40.3	39.2	45.1	43.3	45.8
2	अरुणाचल प्रदेश	14.7	17.1	22.9	27.6	31.2	58.7
3	असम	12.7	12.7	16.4	24.6	28.2	20.3
4	बिहार	4.1	4.3	9.5	10.7	10.2	22.4
5	छत्तीसगढ	49.3	48.4	53.1	53.9	51.6	59.8
6	दिल्ली	14.3	17.8	16.1	13.8	12.2	14.8
7	गोवा	30.9	29.9	28.2	27.3	20.7	28.1
8	गुजरात	19.9	21.5	31.1	33.1	34.4	42.3
9	हरियाणा	14.3	15.3	15.7	19.1	19.1	20.7
10	हिमाचल प्रदेश	49.6	59.2	65.0	62.6	66.1	71.4
11	जम्मू एवं कश्मीर	30.2	33.8	37.4	43.4	44.9	50.2
12	झारखंड	15.4	20.7	35.7	43.9	45.2	45.8
13	कर्नाटक	26.0	24.9	33.8	35.9	31.8	38.1
14	केरल	26.5	30.6	31.9	33.2	37.0	37.5
15	मध्य प्रदेश	31.7	27.9	37.7	40.5	41.0	44.3
16	महाराष्ट्र	30.8	31.6	38.7	36.0	38.4	40.7
17	मणिपुर	23.5	26.3	29.9	21.4	23.4	31.3
18	मेघालय	51.2	51.2	45.7	51.6	50.2	60.9
19	मिजोरम	30.0	29.2	37.0	41.7	34.7	45.1
20	नागालैंड	16.7	22.7	43.0	47.6	51.5	65.2
21	ओडिशा	19.5	24.4	33.1	33.2	32.9	44.7
22	पंजाब	15.5	19.1	23.7	23.1	24.0	27.6
23	राजस्थान	27.0	31.4	38.6	39.9	40.0	47.9
24	सिक्किम	43.9	50.3	59.4	61.1	57.8	68.6
25	तमिलनाडु	33.7	37.0	40.2	43.0	40.7	40.5
26	तेलंगाना	32.6	38.3	44.3	45.4	44.7	44.8
27	त्रिपुरा	12.5	16.6	24.2	30.8	26.7	35.2
28	उत्तराखंड	18.1	19.4	31.8	31.5	33.1	38.7
29	उत्तर प्रदेश	13.5	13.6	17.7	22.6	26.3	31.2
30	पश्चिम बंगाल	20.8	22.2	24.0	28.7	27.9	33.8
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	33.5	31.2	35.9	46.1	45.7	49.6
32	चंडीगढ़	25.2	24.7	20.4	24.1	16.8	21.4
33	दादरा एवं नगर हवेली	39.7	43.0	52.3	30.6	43.0	37.6
34	दमन और दीव	24.9	18.1	35.8			
35	लक्षद्वीप	18.4	17.8	29.7	19.4	16.8	17.3
36	पुडुचेरी	17.1	31.2	31.6	29.3	35.7	33.6
37	लद्दाख			51.1	69.6	46.5	59.1
अखिल भारत		**23.3**	**24.5**	**30.0**	**32.5**	**32.8**	**37.0**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई